

प्रेस नोट थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर दिनांक 11.11.2022

अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब बनाने के आरोप में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा जनपद में अपराधो एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल मार्ग निर्देशन, क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी रामगढताल श्री कमलेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 हरि प्रकाश यादव थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर द्वारा हमराहियान के सहयोग से थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 614/2022 धारा 60/63 आबकारी अधि0 व 272 भादवि से संबंधित वांछित अभियुक्त उमेश कुमार उर्फ झीनक पुत्र श्री ब्रम्हा निषाद निवासी चकरा दोयम थाना राजघाट जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया जिसके संबंध में विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

उमेश कुमार उर्फ झीनक पुत्र श्री ब्रम्हा निषाद निवासी चकरा दोयम थाना राजघाट जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 614/2022 धारा 60/63 आबकारी अधि0 व 272 भादवि थाना रामगढताल गोरखपुर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. थाना प्रभारी श्री कमलेश प्रताप सिंह, थाना रामगढताल, जनपद गोरखपुर।
2. उ0नि0 श्री हरि प्रकाश यादव, थाना रामगढताल, जनपद गोरखपुर।
3. का0 सोनू सिंह, थाना रामगढताल, जनपद गोरखपुर।
4. का0 प्रवीन कुमार, थाना रामगढताल, जनपद गोरखपुर।